दिनांक 04.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 362/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बदायूं/थाना दातागंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 03.07.2026 की रात्रि थाना दातागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेलाडांडी पुल के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सनी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दातागंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बदायूं, मथुरा, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना दातागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सनी निवासी सोरो जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–01 कार।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बांदा/थाना चिल्ला

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.07.2026 को थाना चिल्ला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नरी मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त तुषार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चिल्ला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चिल्ला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तुषार निवासी सुरहा थाना कबरई जनपद महोबा हालपता–बजरंग चौक थाना कोतवाली जनपद महोबा।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना बिजनौर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **1320/–रूपये नगद बरामद**

दिनांक 04.07.2026 को थाना बिजनौर व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छुआराखेड़ा मोड़ के पास से अभियुक्त अमित कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण, 1320/–रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बिजनौर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिजनौर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 28 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बिजनौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमित कुमार निवासी कौशलपुरी छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ हालपता—ग्राम चक सिकन्दर थाना हाजीपुर जनपद वैशाली, बिहार।

बरामदगी

1—चोरी की भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—1320/—रूपये नगद।

- **जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा पर पंजीकृत अभियोग में 05 अभियुक्तों 1—गुलाब 2—प्रवीण 3—अजय 4—जितेन्द्र 5—अभियुक्ता को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50—50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मेरठ/थाना किठौर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद मेरठ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मेरठ द्वारा थाना किठौर पर पंजीकृत अभियोग में 04 अभियुक्तों 1—राजवीर 2—जयवीर 3—02 अभियुक्ता को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना छपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना छपार पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त राहुल को धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।